

क्रमांक

रामगढ़ ताल परियोजना स्थित

‘लोहिया इन्वलेव फेज-द्वितीय’

में 2 बी.एच.के. / 1 बी.एच.के. टाइप-1 से 5 श्रेणी के भवन (G+3) हेतु ।

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि : 24-06-2016
पंजीकरण समाप्ति तिथि : 25-07-2016

पंजीकरण पुरिस्का



2 BHK FLAT



1 BHK (TYPE-1)



गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा संचालित

रामगढ़ताल परियोजना स्थित **'लोहिया इन्वलेव आवासीय योजना फेज द्वितीय** के अन्तर्गत (G+3)

2 बी.एच.के./1बी.एच.के. टाइप-1 से 5 श्रेणी के भवन प्राप्त करने का अवसर

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि- 24/06/2016

पंजीकरण समाप्ति तिथि- 25/07/2016

विशेष आकर्षण :

1. गोरखपुर देवरिया बार्डपास रोड पर 45 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित ।
2. नैसर्गिक झील रामगढ़ ताल एवं चिड़ियाघर के समुख ।
3. स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त एवं शान्त वातावरण ।

उपलब्ध भवनों का विवरण तथा भुगतान प्रक्रिया :-

क्र. सं०	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	आच्छादित मानक क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	अनुमानित मूल्य (प्रभावी सर्विस टैक्स अतिरिक्त देय होगा)	पंजीकरण धनराशि		आवंटन धनराशि 25 प्रतिशत	अवशेष धनराशि		अवशेष धनराशि 10 वर्षों में	
					सामान्य वर्ग 10 प्रतिशत	आरक्षित वर्ग 05 प्रतिशत		सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग	सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग
1.	2 बी०एच०के०	64	72.88	25,93,000/-	2,59,300/-	1,29,650/-	6,48,250/-	16,85,450/-	18,15,100/-	24,187/-	26,047/-
2.	1 बी०एच०के० टाइप-1	208	51.42	18,50,000/-	1,85,000/-	92,500/-	4,62,500/-	12,02,500/-	12,95,000/-	17,256/-	18,584/-
3.	1 बी०एच०के० टाइप-2	02	41.52	16,77,000/-	1,67,700/-	83,850/-	4,19,250/-	10,90,050/-	11,73,900/-	15,642/-	16,846/-
4.	1 बी०एच०के० टाइप-3	64	39.85	12,07,000/-	1,20,700/-	60,350/-	3,01,750/-	7,84,550/-	8,44,900/-	10,811/-	11,643/-
5.	1 बी०एच०के० टाइप-4	64	37.00	11,20,500/-	1,12,050/-	56,025/-	2,80,125/-	7,28,325/-	7,84,350/-	10,037/-	10,809/-
6.	1 बी०एच०के० टाइप-5	02	30.20	9,82,000/-	98,200/-	49,100/-	2,45,500/-	6,38,300/-	6,87,400/-	8,796/-	9,472/-



गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा संचालित
लोहिया इन्वलेव फेज-द्वितीय 2 बी.एच.के./1 बी.एच.के. टाइप -1 से 5 श्रेणी के भवनों (G+3) के आवंटन हेतु

आवेदन - पत्र

क्र0सं0

आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में).....

आवेदक के पति/पत्नी/का नाम.....

आवेदक के पिता का नाम.....

पराचार का पता.....

फोन/मोबाइल नम्बर.....

स्थायी पता.....

आवेदक के बैंक का नाम व शाखा.....

आवेदक का बैंक का खाता संख्या.....

IFSC CODE.....

वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवेदक को कुल खेतों से आय (जिसमें आवेदक की पत्नी/पति/अन्य व्यक्ति वच्चों की आय शामिल हो).....

आवंटन में आरक्षण मॉर्गने का कारण (यदि कोई हो तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें).....

आवेदित भवन की श्रेणी.....

आवेदन पत्र के साथ जमा धनराशि रु0.....

चालान संख्या.....

आवेदक द्वारा आनलाइन पेमेण्ट अथवा E-Transfer/RTGS/NEFT के माध्यम से धनराशि जमा की गयी है जो निम्न सूचना उपलब्ध कराया जाये :-

जमाकर्ता बैंक का नाम.....

UTR No.....

दिनांक.....

Transaction ID No.....

खाता संख्या.....

स्थान.....

दिनांक.....

बैंक सम्बन्धी दी गयी सूचना अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने पर विलम्ब से भुगतान का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

क्रम संख्या.....

प्राप्ति रसीद

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित

लोहिया इन्वलेव फेज-2 में 2 बी.एच.के./1 बी.एच.के. टाइप -1 से 5 श्रेणी के भवनों (G+3) के आवंटन हेतु

आवेदक का नाम..... पिता/पति का नाम.....

भवन की श्रेणी..... औसत क्षेत्रफल वर्ग मीटर.....

जमा धनराशि..... चालान नम्बर..... दिनांक.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

(शपथ पत्र का प्रारूप)

(पंजीकरण धनराशि जमा करने के पश्चात् ही इस प्रारूप पर 10.00 के स्टैम्प पेपर पर नोटरी से फोटो सहित सत्यापित कराकर आवेदन पत्र के साथ दें)

समक्ष, उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम..... तथा व्यवसाय का विवरण.....

आयु..... पूर्ण पता.....

मैं..... शपथपूर्वक निम्नलिखित वचन करता/करती हूँ।

1. मैं **तोहिया इन्व्हेस्टेव फेज द्वितीय** योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 2 बी.एच.के./1 बी.एच.के. टाइप-1 से 5 तक आवासीय भवनो (G+3)के आवंटन हेतु तथा तदसम्बन्धित भूमि प्रहीतेन्द्र के रूप में अग्रिम धनराशि रु0 जमा दिनांक..... के तारतम्य में यह शपथनामा प्रेषित कर रही / रहा हूँ।
2. यह कि मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
3. मैं प्रार्थना-पत्र केवल अपने लिये ही दे रहा / रही हूँ और इसमें किसी प्रकार की बेनानी अधिकार नहीं है। मैं यह शपथ सहित कहता /करती हूँ कि मेरे अथवा मेरे पति / पत्नी व नाबालिग वच्चों में से किसी के नाम पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत कोई भी आवासीय भवन नहीं है, और न ही मैंने / मेरी पत्नी, मेरे पति या नाबालिग वच्चों में से किसी ने आवासीय भवन के लिए अतिरिक्त प्रार्थना-पत्र भी दिया है।
4. मुझे गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा **तोहिया इन्व्हेस्टेव फेज द्वितीय** योजना में आवासीय भवन देने की सभी शर्त व नियम मान्य हैं।
5. मेरे व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में एक से अधिक आवासीय भवन नहीं है। और न ही मैं अथवा मेरा परिवार अरबन लैण्ड सीलिंग एण्ड रेगुलेशन एक्ट 1976 में निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति रखेंगे।
6. मैं यह स्वीकार करता / करती हूँ कि आवासीय भवन का रख-रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ हालत में रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी, और आवासीय भवन के सम्पत्ति करो तथा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनके देने का उत्तरदायी रहूंगा। जब तक मैं आवासीय भवन के सम्पत्ति करो तथा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनके देने का उत्तरदायी रहूंगा। जब तक मैं आवासीय भवन के सम्पत्ति किरतों व करो के धन का पूर्ण भुगतान न कर दूँ, मैं उपाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करता रहूंगा / करती रहूंगी।
7. यह कि मैं यह घोषित करता / करती हूँ कि जब तक आवासीय भवन की समस्त किरतों एवं करो का पूर्ण रूप से भुगतान न कर दूँ मुझे आवासीय भवन बेचने व गिरवी रखने का अधिकार न होगा, और न आवासीय भवन में कोई अन्य निर्माण कार्य अथवा परिवर्तन उपाध्यक्ष की आज्ञा के बिना मैं करूंगा / करूंगी, और न ही आवासीय भवन के आवासीय उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊंगा / लाऊंगी।
8. यदि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित उक्त आवासीय भवन का कब्जा निर्धारित समय के अन्तर्गत मांगा गया रूपया न जमा करूँ अथवा आवासीय भवन की रजिस्ट्री न कराऊ तथा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूँ तो उपाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह मेरा / हमारे द्वारा जमा समस्त धन को जब्त कर ले, तथा आवासीय भवन का आवंटन रद्द कर दे, एवं उस आवासीय भवन पर पुनः कब्जा कर लें।
9. उपर मैंने / हमने जो कुछ कहा वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है, और उपरोक्त शपथ पत्रा में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त वचानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण प्रासंगिक बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण को पूरा-पूरा अधिकार होगा कि पंजीकरण / आवंटन / रजिस्ट्रेशन एग्जीमेन्ट रद्द कर दे, पुनः कब्जा वापस कर लें, और इस सन्बन्ध में मेरे / हमारे द्वारा जमा धन को जब्त कर ले, और मेरे / हमारे विरुद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझे करे, उसमें मुझे / हमें कोई आपत्ति न होगी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

योजना की विशिष्टियाँ

- 1) 45 मीटर चौड़ी महायोजना मार्ग पर स्थित ।
- 2) खुली पार्किंग ।
- 3) रोजमर्रा उपयोग हेतु छोटी दुकान (योजना में)
- 4) सीवरयुक्त कालोनी ।

भवन की विशिष्टियाँ

- 1) सेरेमिक टाइल्स, ड्राइंग एवं डाइनिंग आदि में ।
- 2) किचेन टाप सिंक सहित ।
- 3) आई०एस०आई० मार्क विद्युत फिटिंग ।
- 4) आई०एस०आई० मार्क सेनेटरी फिटिंग ।
- 5) एक उड़ीसा पैन डब्ल्यू०सी० ।
- 6) पी०ओ०पी० वर्क आन सीलिंग एवं वाल पुट्टी सहित आयल बाउण्ड डिस्टेम्पर पेंटिंग ।
- 7) जेड सेक्शन विन्डो ।